

# आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी नीमकाथाना (राज.)**

बजरंग सिंह बनाम आनन्द सिंह वॉर

किस्म मुकदमा दावा दौखवार, रिमांड प्रोसेस नम्बर 12/2025 सन् 2025  
व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
9.01.25	<p>दावा वादी जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 21.01.25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">§  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      उदयपुरवादी (मुन्चुनै)</p>	
21.01.25	<p>पत्रावली पेश हुई। 4 नमूने अनुपस्थित उप. प्रतिवादीगण को तलबी प्राप्त हुई। प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 वाद तामिल अनुपस्थित। अतः इन्हें विरुद्ध एडपोजीम मात्रवादी अमल में लाई जाता है। प्रतिवादीगण सं. 2, 5, 7 को और सं. 5 के अतिरिक्त विरुद्ध सिट्टे इश्वरवट द्वारा बालसंगम जैका किमा शत्रु पत्रावली वास्ते तलबी प्रारंभ वाद प्रतिवादी सं. 2, 5, 7 व तलबी पेश करने तलबी प्रतिवादी सं. 9 अतिरिक्त दिनांक 03.02.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">§  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      उदयपुरवादी</p> <p>आ. पत्रावली तलबी पेश हो पर पत्रावली पेश हुई। उचित परकारण उपस्थित वकील वादी/वादी ने उपस्थित होकर जस्टिस किया कि वे परकारण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा जूरी तार पर खारिज/नोट प्रेत खारिज करवाना चाहते हैं तथा इस आशय को आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलतः एकाएक एकाएक जूरी तार पर खारिज/नोट प्रेत में खारिज किया जाता है। निम्न सं. इजलास में भेजा गया। पत्रावली तलबी प्रारंभ करने नम्बर से कम हो तथा वादी सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12</p> <p style="text-align: center;">§  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      उदयपुरवादी</p>	<p style="text-align: right;">By <u>                    </u>                      Officially                      03/02/2025</p> <p style="text-align: right;"><u>                    </u></p>